



MAHARSHI VISHWAMITRA  
AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE  
GHAZIPUR - 233001

**MAHARSHI VISHWAMITRA  
AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE  
GHAZIPUR (U.P)INDIA- 233001**

**OFFICE OF THE PRINCIPAL**

**Prof.(Dr.)Anand Mishra  
Principal**

S. No.: \_\_\_\_\_  
Dated: \_\_\_\_\_

सेवा में,  
महानिदेशक,  
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण  
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:-एमवीएसएमसी / विज्ञप्ति / अपलोड / 2022-23 / 1455

दिनांक-25 जुलाई, 2022

**विषय:-विज्ञप्ति को महानिदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के सम्बंध में।**

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि महर्षि विश्वामित्र स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय गाजीपुर के विभिन्न विभागों में फ़ैकल्टी के रिक्त पदों को भरने हेतु जारी विज्ञप्ति को महानिदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करना चाहें।

उक्त के संदर्भ में आपसे अनुरोध है कि संलग्न विज्ञप्ति को महानिदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अनुमति प्रदान करें।

भवदीय

प्रधानाचार्य

म0वि0 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय  
गाजीपुर

पत्रांक:-एमवीएसएमसी / विज्ञप्ति / अपलोड / 2022-23 /

तददिनांक

प्रतिलिपि:-प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन शिक्षा विभाग-1 को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधानाचार्य

म0वि0 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय  
गाजीपुर

# MAHARSHI VISHWAMITRA AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE GHAZIPUR (U.P.)INDIA- 233001

## OFFICE OF THE PRINCIPAL

**Prof.(Dr.)Anand Mishra**  
Principal

S. No.: \_\_\_\_\_  
Dated: \_\_\_\_\_

पत्रांक-एमवीएसएमसी गाजीपुर/विज्ञप्ति/2022-23/155

दिनांक 25.07.2022

### विज्ञप्ति सूचना

महर्षि विश्वामित्र स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गाजीपुर में विभिन्न विभागों के अन्तर्गत संविदा के आधार पर आचार्य, सह-आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर सेवायोजन हेतु विज्ञप्ति।

एन0एम0सी0/एम0सी0आई0 मानकों के पूर्ति हेतु इस चिकित्सा महाविद्यालय में आचार्य, सह-आचार्य, सहायक एवं आचार्य के सृजित पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु आवेदन पत्र एतद्वारा आमंत्रित किये जाते हैं। इन पदों पर चयन, चयन समिति के द्वारा वाक-इन-इण्टरव्यू के माध्यम से किया जायेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती कि वह साक्षात्कार हेतु 27/07/2022, बुधवार को कार्यालय प्रधानाचार्य महर्षि विश्वामित्र स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गाजीपुर में पूर्वान्ह 12.30 बजे अपने समस्त शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध-पत्रों की स्व-प्रमाणित छाया प्रतियों का एक सेट बायो-डाटा एवं अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों सहित संलग्न प्रारूप के साथ उपस्थित हों। चिकित्सा शिक्षकों के पदों की रिक्तियाँ एवं नियुक्ति की शर्तें महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के वेबसाइट <http://dgmeup.in> एवं महर्षि विश्वामित्र स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गाजीपुर के वेबसाइट [www.asmcghazipur.ac.in](http://www.asmcghazipur.ac.in) पर उपलब्ध है।

क्र० सं०	विशिष्टता	आचार्य		सह आचार्य		सहायक आचार्य	
		पदों की संख्या	श्रेणी	पदों की संख्या	श्रेणी	पदों की संख्या	श्रेणी
1	एनाटॉमी	-	-	-	-	01	SC
2	फिजियोलॉजी	01	SC	-	-	01	OBC
3	बायोकेमिस्ट्री	-	-	01	OBC	-	-
4	फार्माकोलॉजी	-	-	01	SC	-	-
5	फोरेन्सिक मेडिसिन	-	-	-	-	01	SC
6	जनरल मेडिसिन	01	OBC	02	1 OBC 1 UR	-	-
7	स्किन एण्ड वी0डी0	-	-	01	UR	-	-
8	आब्स एण्ड गायनी	01	SC	01	UR	-	-
9	एनेस्थिसिया	-	-	01	SC	-	-
10	रेडियोलॉजी	-	-	01	OBC	01	SC
11	इमरजेन्सी मेडिसिन	-	-	01	OBC	01	UR
12	कम्युनिटी मेडिसिन	-	-	-	-	01	EWS
13	साइकेट्रिक	-	-	01	EWS	-	-

**नोट**-एनएमसी मानकों एवं एल0ओ0पी0/1<sup>st</sup> **Renewal** को दृष्टिगत रखते हुए आदि आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी से रिक्त पद को भरने पर विचार किया जायेगा।



**MAHARSHI VISHWAMITRA  
AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE  
GHAZIPUR (U.P)INDIA- 233001**

**OFFICE OF THE PRINCIPAL**

**Prof.(Dr.)Anand Mishra  
Principal**

S. No.: \_\_\_\_\_

Dated: \_\_\_\_\_

संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत हैं-

1. संविदा पर नियुक्त किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन रु0 1,35,000/, सह-आचार्यों का नियत वेतन रु0 1,20,000/ तथा सहायक आचार्यों का नियत वेतन रु0 90,000/ माह है। इस हेतु आवेदनकर्ता को NMC / Medical Council of India Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations 1998. द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हताएँ एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
2. शासनादेश सं0-2282/71-1-2013-जी0-11/2011 दिनांक 23.09.2013 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्ति किये जाने की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।
3. शासनादेश सं0-562/71-1-2020-जी0-63/2008 दिनांक 10.06.2021 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह-आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
4. चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव Autonomous State Medical College, Uttar Pradesh Principal and Teacher's (Recruitment & other Conditions of Services) Model Rules 2020 में नियत व्यवस्था के अनुसार होगी।
5. ओपीडी के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
6. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
7. कोई भी चिकित्सा शिक्षक इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बंध चिकित्सालयों में आये रोगियों को प्राइवेट में देखने/दिखाने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
8. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आकस्मिक/आपदा सेवायें के दृष्टिगत हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
9. उक्त नियम वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।
10. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
11. ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात चयनित अभ्यर्थी अगर निर्धारित श्रेणी में ही नियुक्त है एवं नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
12. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह करार होने के 15 दिन के भीतर सम्बंधित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्ति ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य/नोडल प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।
13. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार की पेंशन सम्बंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसे कालावधि के लिए कोई कोई बोनस देय नहीं होंगे।
14. चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिए हकदार नहीं होंगे।



MAHARSHI VISHWAMITRA  
AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE  
GHAZIPUR - 233001

# MAHARSHI VISHWAMITRA AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE GHAZIPUR (U.P)INDIA- 233001

## OFFICE OF THE PRINCIPAL

Prof.(Dr.)Anand Mishra  
Principal

S. No.: \_\_\_\_\_

Dated: \_\_\_\_\_

15. संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है। संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्त ऐसी होगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जाय। संविदा पर कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों के अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुबन्ध होगी।
16. अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के समय इस आषय का घोषणा पत्र भी प्राप्त किया जायेगा कि उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में कोई आपराधिक वाद प्रचलित नहीं है। यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
17. उ०प्र० शासन कार्मिक अनुभाग-2, उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/2019/4/1/2002/का-2/19टी०सी०-2 दिनांक 18.02.2019 के अन्तर्गत ई०डब्ल्यू०एस०(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु की वार्षिक आय रु० 08 लाख से कम होगी तथा परिवार की आय और परिसम्पत्ति का प्रमाण पत्र सम्बंधित क्षेत्र के तहसीलदार/सक्षम अधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित किया जायेगा। इस सम्बंध में विस्तृत नेट पर देखा जा सकता है।
18. पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।
19. उक्त साक्षात्कार के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

प्रधानाचार्य

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सोसायटी,  
गाजीपुर

तददिनांक

पत्रांक-एएसएमसी गाजीपुर/विज्ञप्ति/2022-23/1455  
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, 6वाँ तल, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को महानिदेशालय लखनऊ की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।
3. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को अपने चिकित्सालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने का कष्ट करें।

प्रधानाचार्य

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सोसायटी  
गाजीपुर